

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

105/2025

श्री चंचल महेश्वरी निवासी 112/190 सेक्टर 11 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर राज.

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 16.12.2025


प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

दिनांक 21.10.2013 से 21.12.2024 तक माननीय उपखण्ड अधिकारी का नाम, राजकीय पहचान संख्या तथा उपखण्ड अधिकारी मालपुरा टोंक राज. के पद पर नियुक्ति अवधि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को पत्र क्रमांक 2165 दिनांक 12.11.2025 व 2311 दिनांक 27.11.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने पत्र क्रमांक 467 दिनांक 03.12.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके पत्र क्रमांक 427 दिनांक 13.10.2025 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवादी गयी है, परन्तु अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन से विदित होता है कि अपीलान्त को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।




(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम जिला कलेक्टर
एवं जिला टोंक